प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2017-18

सम्पूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए

स्वस्थ प्रदेश की ओर बढ़ते कदम...
हर नागरिक की मददगार
मध्यप्रदेश सरकार

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश

अब बस एक गर्भ निरोधक इंजेक्शन,
3 महीने तक खत्म
परिवार नियोजन की टेंशन.

जोड़ी ज़िम्मेदार
जो प्लान करे परिवार

इंजेक्शन एम.पी.ए

- 3 महीने तक गर्भवती होने की चिन्ता से मुक्ति.
- इससे यौन सम्बन्ध में कोई परेशानी नहीं आती.
- स्तनपान के दौरान भी इंजेक्शन लेना पूरी तरह से सुरक्षित है. (डिलिवरी के 6 हफ्ते बाद)

इंजेक्शन एम.पी.ए	आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली	गर्भ निरोधक गोलियाँ	कॉपर आई.यू.सी.डी 375 आई.यू.सी.डी 380 A	कंडोम	पुरुष नसबंदी	महिला नसबंदी

परिवार नियोजन के नए और आसान तरीकों की पूरी जानकारी
के लिए फ्री कॉल: **1800 116 555**
वेब: **humdo.nhp.gov.in**

pmindia.gov.in | MyGov.in | mohfw.nic.in | @MoHFW_India

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2017-18

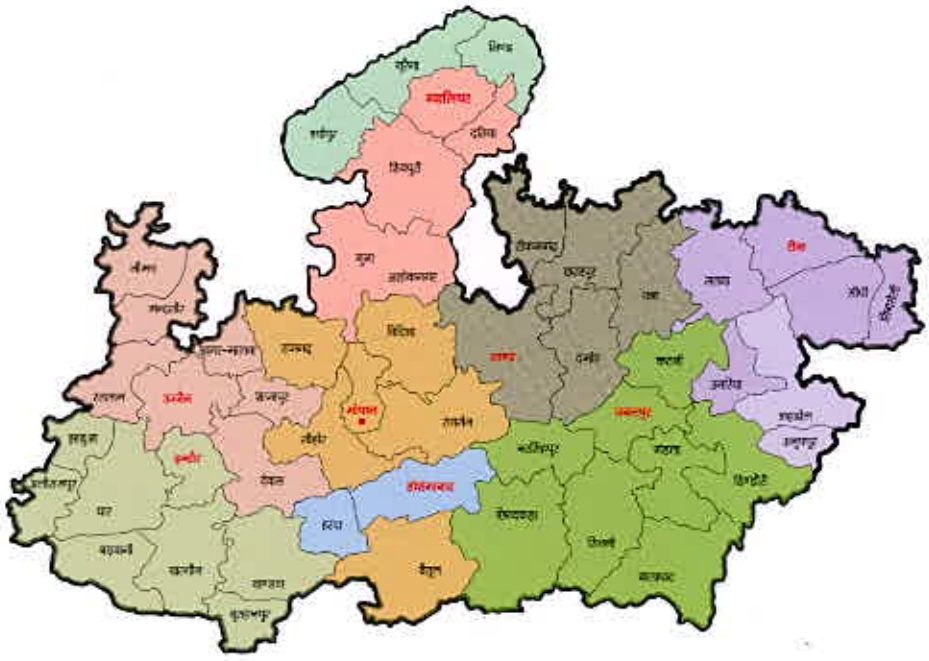

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अनुक्रम

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
	भाग–एक	
1.	विभागीय संरचना	1
2.	विभागीय संगठन	2
3.	विभाग के दायित्व एवं विभाग के तहत विभिन्न केन्द्रीय व राज्य अधिनियम एवं नियम	3
	3.1 गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट)	6
	3.2 गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (एम.टी.पी. एक्ट)	11
4.	महत्वपूर्ण सांख्यिकी एवं महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकांक	15
5.	स्वास्थ्य संस्थाओं की जानकारी	16
	भाग–दो	
1.	बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार)	26
	भाग–तीन	
1.	राज्य योजनाऐं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं	29
	राज्य योजनाऐं	
1.	सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना	30
2.	निःशुल्क चिकित्सकीय जांच योजना	32
3.	रोगी कल्याण समिति	33
4.	मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि	36
5.	मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना	37
6.	मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना	38
7.	निःशुल्क डायलिसिस योजना	39
8.	कीमोथैरेपी सुविधा	42
9.	संक्रामक रोगों की रोकथाम	43
10.	सूचना शिक्षा संचार गतिविधियाँ	45
	केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं / कार्यक्रम	
1	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	48
	1.1 वित्तीय प्रगति	49
	1.2 मानव संसाधन	50
	1.3 मातृ स्वास्थ्य	52
	1.4 जननी सुरक्षा योजना	61
	1.5 जननी एक्सप्रेस	62

1.6	शिशु स्वास्थ्य	63
1.7	शिशु एवं बाल पोषण	68
1.8	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	75
1.9	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	77
1.10	आशा कार्यक्रम	80
1.11	ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति	83
1.12	स्वास्थ्य सेवाओं की समुदाय आधारित निगरानी	84
1.13	दीनदयाल चलित अस्पताल योजना (मोबाइल मेडिकल यूनिट)	85
1.14	दीनदयाल –108	86
1.15	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	87
1.16	क्वालिटी एश्योरेन्स	90
1.17	कायाकल्प अभियान	91
2.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	93
3.	राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम	96
4.	शीत श्रृंखला प्रणाली	99
5.	राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	101
6.	राष्ट्रीय पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम	107
7.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	108
8.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	110
9.	राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम	113
10.	राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम	117
11.	राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम	118
12.	राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम	121
13.	राष्ट्रीय बधिरता निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम	123
14.	वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	124
15.	राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम	126
16.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	128
17.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	130

भाग–चार

1.	मानव संसाधन	135
2.	मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना 2016	136
3.	स्वास्थ्य संस्थाओं की अधोसंरचना (भवन)	138
4.	जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण	141
5.	विभागीय प्रशिक्षण	144
6.	उपकरण रखरखाव एवं मॉनिटरिंग तंत्र	148
7.	सीटी स्केन	151
8.	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	152

भाग – एक

1. विभागीय संरचना
2. विभागीय संगठन
3. विभाग के दायित्व एवं विभाग के तहत विभिन्न केन्द्रीय व राज्य अधिनियम एवं नियम एवं नियम
   - 3.1 गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट)
   - 3.2 गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (एम.टी.पी. एक्ट)
4. महत्वपूर्ण सांख्यिकी एवं महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकांक
5. स्वास्थ्य संस्थाओं की जानकारी

विभागीय संरचना

मध्य प्रदेश शासन	
विभाग का नाम – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
मंत्री	श्री रूस्तम सिंह
राज्य मंत्री	श्री शरद जैन
सचिवालय	
प्रमुख सचिव	श्रीमती गौरी सिंह
सचिव	श्री कवीन्द्र कियावत
उप सचिव	श्री बी.आर. सुनहरे
अवर सचिव	श्री अजय नथानियल
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं	
आयुक्त स्वास्थ्य एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन	डॉ. पल्लवी जैन गोविल
मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	श्री एस. विश्वनाथन
संचालक, प्रशासन प्रबंध संचालक, म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	श्री धनराजू एस.
परियोजना संचालक मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति	श्री उमेश सिंह
संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राज्य आई.ई.सी. ब्यूरो	डॉ0 बी.एन.चौहान
संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं	डॉ. के.के.ठस्सू
संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं	डॉ. जे.एल मिश्रा
अपर संचालक, प्रशासन	श्री विवेक श्रोत्रिय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागीय संगठन

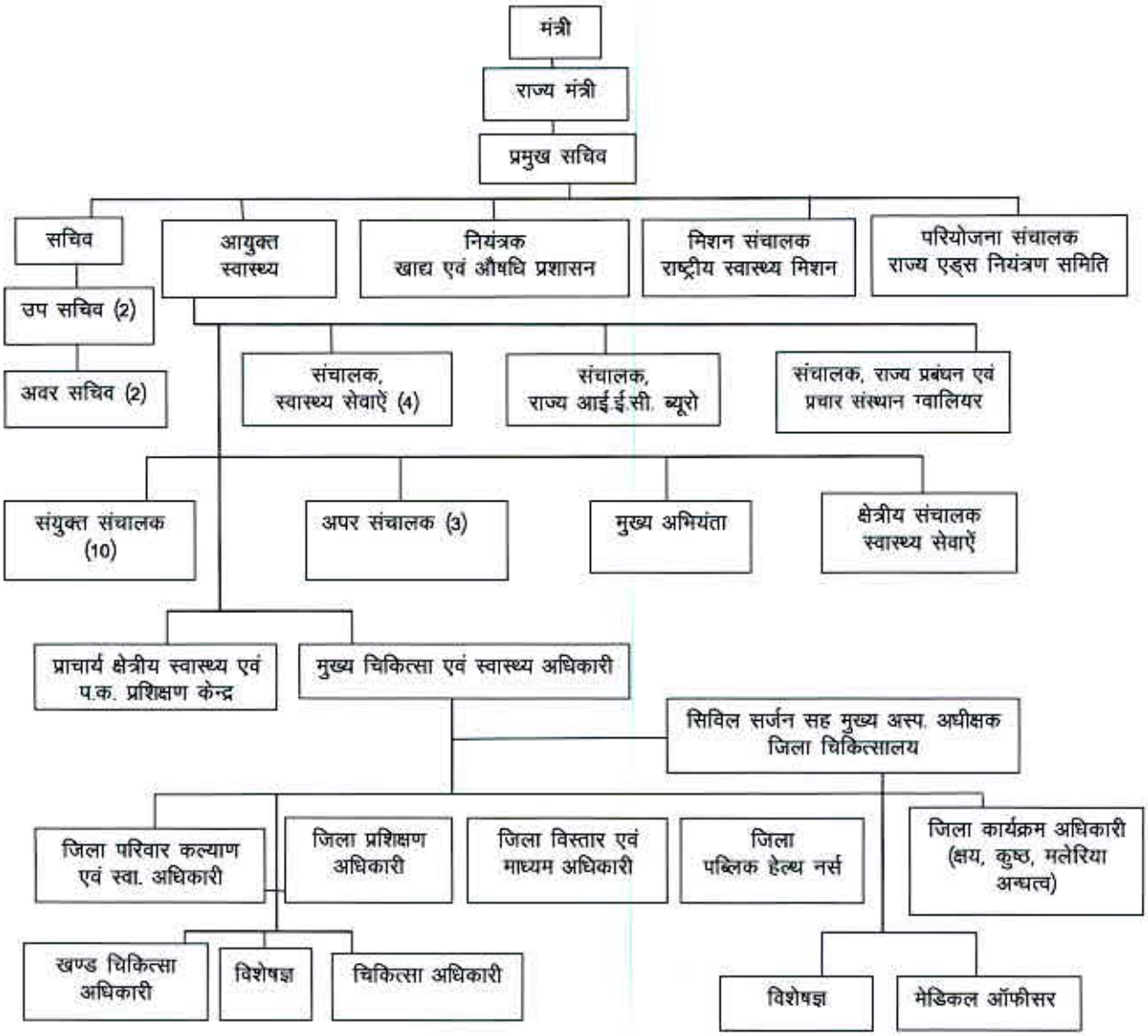

विभाग के दायित्व एवं विभाग के तहत विभिन्न केन्द्रीय व राज्य अधिनियम एवं नियम

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय –

1. चिकित्सालय और औषधालय (जिनके अंतर्गत महामारी औषधालय और चलित औषधालय आते हैं)।
2. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाऐं।
3. जिला अस्पतालों सहित सभी सिविल अस्पताल।
4. लोक स्वास्थ्य प्रशासन जिसमें निम्नलिखित शामिल है :–
   (क) स्वच्छता संबंधी विधियां तथा विनियमन।
   (ख) स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा कल्याणकारी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां, अर्हताएं, तथा कर्तव्य।
   (ग) लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं।
   (घ) वैक्सीन–संधारण।
5. खाद्यान्न तथा औषधियों में मिलावट रोकथाम।
6. संक्रामक तथा सांसर्गिक रोग तथा परजीवियों से होने वाले रोग।
7. महामारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण।
8. चलित औषधालय जिसमें मूल निवासियों और ग्रामोत्थान के लिए नियत औषधालय भी शामिल हैं।
9. टीकाकरण कार्य।
10. जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन।
11. सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान।
12. रेडक्रॉस तथा सेंट जांस एम्बुलेन्स एसोसिएशन।
13. विष संक्रमण उपचार व नियंत्रण।
14. परिवार कल्याण कार्यक्रम, प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षण के लिए विस्तृत कार्यक्रम परिवार नियोजन के लिए सामग्रियों की पूर्ति।
15. राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम।
16. राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम।
17. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम।
18. औषध निर्माण विज्ञान व्यवसाय तथा औषध निर्माण विज्ञान शिक्षा।
19. औषधि मानक।
20. शासकीय कर्मचारियों को राज्य के भीतर चिकित्सा सहायता तथा उपचार से संबंधित विषय।

21. राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम।

22. एस.टी.डी. रोगों की रोकथाम।

23. राष्ट्रीय आयोडिन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम।

24. राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम :–

    (क) बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजनाएं।

    (ख) लोक स्वास्थ्य योजना।

    (ग) विभिन्न राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन तथा प्रगति की निगरानी।

25. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम।

26. महामारी संबंधी आपदाओं के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना।

27. प्रसविकी (मिडवाइफरी) सेवाएं।

28. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ – नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन ।

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम

1. फार्मेसी अधिनियम, 1948

2. Food Safety and Standard's Act 2006

3. औषधि तथा श्रृंगार प्रसाधन अधिनियम, 1940 (केन्द्र शासन)

4. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद के (विज्ञापन का प्रतिषेध और उसके व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003।

5. मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 (संशोधन फरवरी, 2006)

6. मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम, 1997 (संशोधन फरवरी, 2007)

7. जैव चिकित्सीय अवशिष्ट (प्रबंधन तथा हस्तन) नियम, 1998

8. पर्सन्स विद डिस्एब्लिटीज (इक्वल अपार्चुनिटीज, प्रोटेक्शन आफ राइट्स एण्ड फुल पार्टिसिपेशन) अधिनियम, 1995

9. गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994

10. गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय –

1. लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संचालनालय।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
3. नियंत्रक, खाद्य तथा औषधि तथा प्रशासन।
4. मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति।

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम :

कोई नहीं

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय :

- फार्मेसी परिषद्
- मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो:

1. मध्यप्रदेश स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा।
2. मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय स्वास्थ्य सेवाएं।

   अ. अधिसूचना क्रं.एफ.ए.1–18/2001/एक(1), दिनांक 17 अक्टूबर 2002 द्वारा संशोधित।

   ब. अधिसूचना क्रं.एफ.ए.1–15/2001/एक(1), दिनांक 8–5–2002 द्वारा संशोधित ।

   स. अधिसूचना क्रं.एफ.ए.1–1/2003/एक(1), दिनांक 21–5–2002 द्वारा संशोधित ।

3. खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियम।

गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान
तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियम

गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियम का मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन

समाज में व्याप्त पितृ सत्तात्मक व्यवस्था एवं परिवार में पुत्र की चाहत की विचारधारा के चलते गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरूपयोग दृष्टिगत हो रहे है। जनगणना 2011 के आंकड़ो के अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 918 है। मध्यप्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार सन् 1991 में शिशु लिंगानुपात 941 था, जो 2001 में 9 बिन्दु गिरकर 932 रह गया। जबकि 2011 में 14 बिन्दु की गिरावट के साथ यह 918 पर आ गया है, मध्य प्रदेश में गिरता हुआ शिशु लिंगानुपात आगे आने वाले भविष्य में समाज में असंतुलन की स्थिति का निर्माण कर रहा है। जिस पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है।

वैज्ञानिक प्रगति के अंतगर्त गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव निदान तकनीकों जिसके अतंगर्त सोनोग्राफी एवं अन्य तकनीकों के दुरूपयोग तथा सामाजिक रूढ़िवादिता एवं समाज में बेटे की चाहत के कारण शिशु लिंगानुपात में गिरावट आई है। इस समस्या से जुड़े अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा कानूनी पहलू है इसलिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा हर स्तर पर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिये कार्य किया जा रहा है।

सामाजिक जागरूकता के साथ साथ प्रदेश में इन तकनीकों का दुरूपयोग रोकने हेतु गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियम [Pre Conception & Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act &Rule] 1994] लागू किया गया है। उक्त अधिनियम एवं नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये हर स्तर से सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।